राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट2018

तारीख		
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत देरवाला प्रकरण संख्या 154 / 2014 **उनवान** बालुराम बनाम मामराज वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.	राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018
19.06.2018	यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत देरवाला में पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2017 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थना–पत्र मे वर्णित भूमि बाबत आवेदक के कब्जा काश्त मे कोई बाधाकारित न करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश को ताः फैसला दावा तक बढ़ाया जाना उचित प्रतीत होता है। क्योकि चलते विवाद मे कोई अनावश्यक पेचेदगिया न बढ़ सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा पाबंद किया जाता है कि व प्रार्थना–पत्र मे वर्णित भूमि बाबत आवेदक के कब्जा काश्त मे कोई बाधाकारित न करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned by CamScanner